न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर टोंक

प्रकरण संख्या 24/2020

किशनलाल पुत्र बजरंगलाल मीना नि0 सुरेली वाया उनियारा जिला टोंक राज0

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा जिला-टोंक

--प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय   दिनांक 17-8-2020

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को दिनांक 18-03-2020 को आवेदन प्रेषित/प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक द्वारा सूचना उनके कार्यालय से सम्बन्धित नहीं होने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 6(3) के तहत तहसीलदार उनियारा को अन्तरित कर निम्न वर्णित सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। अपीलान्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गई थी :-

1-प्रार्थी द्वारा रजिस्टर्ड डाके से भेजे गये प्रार्थना पत्र दिनांक 3-9-2019, 4-11-2019 पर की गई कार्यवाही की सूचना उपलब्ध कराएं

अपीलार्थी को निर्धरित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र कमांक 541 दिनांक 7-8-2020 द्वारा जवाब तलब किया गया। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा ने उनके पत्र कमांक 2375 दिनाक 11-8-2020 से अवगत कराया की अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचना आवेदक को पत्र कमांक 2165 दिनांक 6-8-2020 से उपलब्ध करवा दी गई है जवाब की प्रति न्यायालय हाजा में भी सूचनार्थ भिजवाई गई है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है निर्णय की प्रति अपीलार्थी व लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

(गौरव अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2020.12.07 15:45:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner